

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(3)वित्त-1(1)आ.व्य./2019

जयपुर, दिनांक: 28 मई 2019

परिपत्र

समस्त विभागाध्यक्ष,
राजस्थान


विषय :- विधान सभा में निष्पादन बजट की प्रतियां ऑनलाईन करने के सम्बन्ध में।

विधान सभा में प्रत्येक वर्ष बजट सत्र के दौरान वित्त विभाग द्वारा जारी बजट परिपत्र के परिशिष्ट 'ग' में उल्लेखित विभागों द्वारा निष्पादन बजट की प्रतियां राज्य विधान सभा को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।

राज्य के बजट को विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में परन्तु विभाग की मांगों पर चर्चा होने से तीन दिवस पूर्व अनिवार्य रूप से वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार निष्पादन बजट की 325 प्रतियां राजस्थान विधान सभा सचिवालय को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।


विधान सभा सचिवालय द्वारा अब इस सम्बन्ध में पर्यावरण एवं अनावश्यक वित्तीय भार के दृष्टिगत यह निर्णय लिया है कि, सम्बन्धित विभागों द्वारा निष्पादन आय-व्ययक की न्यूनतम साईज की ग्रे-स्केल में PDF फाईल तैयार कर पैन ड्राईव में मय 25 प्रतियां मैनुअली राजस्थान विधान सभा को निश्चित समयावधि में भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतः सभी विभाग आगामी बजट सत्र से निष्पादन बजट के सम्बन्ध में उपर्युक्त अनुसार कार्यवाही किया जाना कृपया सुनिश्चित करावें।


(श्री राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा को उनके पत्रांक एफ 1(7)(3)(i)साशा/विस/2019/15731 दिनांक 17.05.2019 के क्रम में प्रेषित है।
3. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग को परिपत्र वित्त विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु।


निदेशक, वित्त (बजट)

[06/2019]